रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 2018/चैत्र 1, 1940
No. 166] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 2018/CHAITRA 1, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2018

सा.का.नि. 261(अ).—प्रारूप नियम, अर्थात् ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2017 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II**, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1349(अ) तारीख 30 अक्तूबर, 2017 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख जिसकी अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, से साठ दिन की समाप्ति से पहले आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना जनता को तारीख 30 अक्तूबर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आक्षेप और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अत: अब केन्द्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 में, -

(क) नियम 5 में, उप-नियम (1) में खण्ड (छ) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ज) नियम 5 के उपबंध उन उत्पादकों पर लागू होंगे जिन्होंने चालू वित्त वर्ष में बाजार में कोई माल रखा है और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना के लिए लक्ष्य नियम 13 के उप-नियम (1) के खण्ड (ii) तथा अनुसूची-III के अनुसार होंगे।"

(ख) नियम 13 में; -

(I) उप-नियम 1 में, खण्ड (xi) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(xii) यदि उत्पादक ने हाल ही में विक्रय आरंभ किया है अर्थात् विक्रय सक्रियाओं के वर्षों की संख्या उसके उत्पाद की औसत आयु से कम है, तो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य अनुसूची-3(क) के अनुसार होगा और ये लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू होंगे तथा जब केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियत किए गए अनुसार उसके औसत जीवन को उत्पाद करता है, संग्रहण लक्ष्य अनुसूची-3 के अनुसार पुनरीक्षित किए जाएंगे।

(xiii) पूर्ववर्ती वर्षों में उत्पादकों द्वारा पहले संग्रहित ई-अपशिष्ट को अनुसूची-III के अनुसार हिसाब में लिया जाएगा तथा परवर्ती वर्षों के लिए, अनुसूची-III के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करते समय उपयुक्त मुजरे का उपबंध किया जाएगा।

(xiv) अनुसूची-III के अनुसार, संशोधित विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) लक्ष्य 1 अक्तूबर, 2017 से लागू होंगे ।

(xv) 1 अक्तूबर, 2016 से 30 सितंबर, 2017 तक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अधीन उत्पादकों द्वारा संग्रहित ई-अपशिष्ट की मात्रा को केवल मार्च, 2018 तक ही अनुसूची-III के अनुसार संशोधित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों के हिसाब में लिया जाएगा।"

(xvi) उत्पादकों द्वारा आस्तियों के अंतरण या बिक्री के मामले में, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के अधीन दायित्व भी क्रेता को अंतरित हो जाएंगे।

(xvii) इन नियमों के अधीन उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों के लिए निर्धारित क्रियाकलाप करने हेतु रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन करेगा।"

(II) उप-नियम (4) में, खण्ड (i) में("प्राधिकार देना या नवीकरण" शब्दों के स्थान पर "प्राधिकार देना" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) नियम 16 में उप नियम (9) और (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(9) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड परिसंकटमय पदार्थों के उपबंधों और नमूने और परीक्षण की लागत में कमी करने का अनुपालन करने के लिए बाजार में रखे गए इलेक्ट्रानिकल और इलेक्ट्रानिक उपस्करों को याद्दच्छिक रूप से नमूने ले सकेंगे और परिसंकटमय पदार्थ परीक्षण में कमी करने के लिए लिए गए नमूने और किए गए परीक्षण की लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी और परिसंकटमय पदार्थ में कमी के लिए याद्दच्छिक रूप से नमूने लेने की प्रक्रिया और अनुज्ञय त्रुटिमान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार होगा।

(10) यदि उत्पाद खतरनाक पदार्थों की कमी के अनुपालन का उपबंध नहीं करता है, तो खतरनाक पदार्थों की कमी की जांच की लागत उत्पादक द्वारा वहन की जाएगी और इसके अतिरिक्त, उत्पादक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शन के अनुसार, समुचित अवधि के भीतर उत्पाद को बाजार से निकालने या वापस लेने और उत्पाद को अनुपालन में लाने के लिए सुधारात्मक उपाय करेगा ।"

(घ) नियम 21 में,

उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम (2) रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, वाहक, नवीकरणकर्ता, भंजक और पुन:चक्रक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शन के अनुसार बनाए गए नियमों के किसी उल्लंघन पर वित्तीय शास्तियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।";

(ड.) नियम 22 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पारित निलंबन या रद्दकरण या प्राधिकार के इन्कार करने या इसके नवीकरण से पीडित कोई व्यक्ति, उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर, अपीलीय

प्राधिकारी अर्थात् पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सचिव या सचिव के नामिती को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश के विरूद्ध प्ररूप 7 में अपील कर सकता है।"

"(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या समितियों द्वारा पारित निलंबन या रद्दकरण या प्राधिकार के इन्कार करने अथवा इसके नवीकरण से पीडित कोई व्यक्ति, उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर, अपीलीय प्राधिकारी अर्थात् राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिव (पर्यावरण) को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों अथवा समितियों के आदेश के विरूद्ध प्ररूप 7 में अपील कर सकता है।"

(च) नियम 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"23. ई-अपशिष्ट का संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, पृथकरण, नवीकरण, भंजन, पुनचर्कण और निपटान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शन के अनुसार होगा।"

(छ) अनुसूची-III के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची-III

[नियम 5 (1)(क) और नियम 13(1) (ii), (xii), (xiii), (xiv), (xv) देखें]

क्र.सं.	वर्ष	ई-अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य (संख्या/भार)
(i)	2017-18	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में उपदर्शित अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 10%
(ii)	2018-19	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में उपदर्शित अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 20%
(iii)	2019-20	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में उपदर्शित अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 30%
(iv)	2020-21	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में उपदर्शित अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 40%
(v)	2021-22	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में उपदर्शित अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 50%
(vi)	2022-23	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में उपदर्शित अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 60%
(vii)	2023 से आगे	विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना में उपदर्शित अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा का 70%

अनुसूची-III (क)

(नियम 13(1) (xii), (xiii), (xv) देखें)

उत्पादक, जिन्होंने हाल ही में विक्रय सक्रिया आरंभ की है, अर्थात विक्रय सक्रिया के वर्षों की संख्या, समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शन में उल्लेखित उनके उत्पादों की औसत आयु से कम हैं के लिए विस्तारित उत्पाद उत्तरदायित्व लक्ष्य ।

क्र.सं.	वर्ष	ई-अपशिष्ट संग्रहण लक्ष्य (संख्या/भार)
(i)	2018-19	वित्तीय वर्ष 2016-17 के विक्रय अंक का 5%
(ii)	2019-20	वित्तीय वर्ष 2017-18 के विक्रय अंक का 5%
(iii)	2020-21	वित्तीय वर्ष 2018-19 के विक्रय अंक का 10%
(iv)	2021-22	वित्तीय वर्ष 2019-20 के विक्रय अंक का 10%
(v)	2022-23	वित्तीय वर्ष 2020-21 के विक्रय अंक का 15%
(vi)	2023-24	वित्तीय वर्ष 2021-22 के विक्रय अंक का 15%
(vii)	2024-2025	वित्तीय वर्ष 2022-23 के विक्रय अंक का 20%
(viii)	2025 से आगे	पूर्ववर्ष से पहले के वर्ष के विक्रय अंक का 20%

(ज) प्ररूप I में,

(I) मद-4 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-

"केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लिखित उनके औसत जीवन अवधि की समतुल्य अवधि के लिए वर्ष वार बाजार में रखे गए विद्युत और इलेक्ट्रानिक उपस्करों के ब्यौरे (नीचे दी गई सारणी I के प्ररूप के अनुसार)।";

(II) मद 9 में, प्रविष्टि (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथाविनिर्दिष्ट खतरनाक पदार्थों में कमी के अनुपालन के समर्थन में उनके द्वारा रखे गए तकनीकी दस्तावेजों के संबंध में घोषणा का प्रबंध कराया जाना।"

(I) प्ररूप 3 में, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"मात्रा मीट्रिक टन (एमटी) में"

[फा. सं. 12-16/2017-एचएसएमडी]

रीतेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338(अ), तारीख 23 मार्च, 2016 में प्रकाशित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2018

G.S.R. 261(E).—Whereas the draft rules, namely the E-waste (Management) Amendment Rules, 2017, were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide number G.S.R. 1349(E), dated 30 October, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 30th day of October, 2017;

AND WHEREAS the objections and suggestions received within the specified period from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of powers confirmed by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the E-waste (Management) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called E- Waste (Management) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the E-waste (Management) Rules, 2016, -

(a) in rule 5, in sub-rule (1) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

"(h) The provisions of rule 5 shall apply to producers who have placed any goods in the market in the current financial year and the targets for the extended producer responsibility plan shall be as per clause (ii) of sub-rule (1) of rule 13 and Schedule III.";

(b) in rule 13; -

(I) in sub-rule (1), after clause (xi), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(xii) In case the producer has started sale recently i.e. number of years of sales operations is less than average life of their product, the Extended Producer Responsibility target shall be applicable as per Schedule- III (A) and these targets applicable from financial year 2018-2019 and once the product achieves its average life as fixed by the Central Pollution Control Board, the collection target shall be revised as per Schedule III.

(xiii) The e-waste already collected by producers as per Schedule III(A) in earlier years will be accounted for and the eligible set offs shall be provided for the corresponding years at the time of fixation of targets as per Schedule-III.

(xiv) The revised Extended Producer Responsibility targets shall be applicable from the 1st October 2017 as per Schedule III.

(xv) The quantity of e-waste collected by producers under Extended Producer Responsibility from the 1st October 2016 to 30th September 2017 shall be accounted for in the revised Extended Producer Responsibility targets as per Schedule III until March 2018 only.

(xvi) In case of transfer or sale of assets by the producers the liability under Extended Producer Responsibility shall also be transferred to the buyer.

(xvii) A Producer Responsibility Organisation shall apply to the Central Pollution Control Board for registration to undertake the activities prescribed for Producer Responsibility Organisations under these Rules.";

(II) in sub-rule (4), in clause (i), for the words "grant or renewal of authorisation", the words, "grant of authorisation" shall be substituted;

(c) in rule 16, for sub-rules (9) and (10), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(9) The Central Pollution Control Board may conduct random sampling of electrical and electronic equipment placed in the market to monitor and verify the compliance of Reduction of Hazardous Substances provisions and the cost for sampling and testing shall be borne by the Government for conducting the Reduction of Hazardous Substances test and the procedure of random sampling and permissible error value of Reduction of Hazardous Substances test shall be as per the guidelines of the Central Pollution Control Board.

(10) If the product does not comply with the Reduction of Hazardous Substances provisions, then the cost of the Reduction of Hazardous Substances test will be borne by the Producer and in addition, the Producer shall take corrective measures to bring the product into compliance and withdraw or recall the product from the market within a reasonable period as per the guidelines of the Central Pollution Control Board.";

(d) in rule 21,

for sub-rule (2), the following sub-rule (2) shall be substituted namely: -

"(2) The manufacturer, producer, importer, transporter, refurbisher, dismantler and recycler shall be liable to pay financial penalties as levied under the Provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder for any violation of the provisions under these rules by the State Pollution Control Boards with the prior approval of the Central Pollution Control Board in accordance with the guidelines published by the Central Pollution Control Board." ;

(e) in rule 22, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(1) (a) Any person aggrieved by an order of suspension or cancellation or refusal of authorisation or its renewal passed by the Central Pollution Control Board may, within a period of thirty days from

IndiaCode

the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal in Form 7 to the Appellate Authority i.e. the Secretary or nominee of Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, New Delhi against the order of the Central Pollution Control Board.

"(b) Any person aggrieved by an order of suspension or cancellation or refusal of authorisation or its renewal passed by the State Pollution Control Boards or Committees may, within a period of thirty days from the date on which the order is communicated to him, prefer an appeal in Form 7 to the Appellate Authority i.e. the Secretary (Environment) of the State Government /Union Territory administration against the order of State Pollution Control Boards or Committees.";

(f) for rule 23, the following rule shall be substituted, namely: -

"23. The collection, storage, transportation, segregation, refurbishment, dismantling, recycling and disposal of e-waste shall be in accordance with the guidelines published by the Central Pollution Control Board.";

(g) for Schedule III, the following Schedules shall be substituted namely: -

" **SCHEDULE III**

[See rules 5(1) (a) and 13(1) (ii), (xii), (xiii), (xiv), (xv)]

IndiaCode

Sl. No	Year	E-Waste Collection Target (Weight)
(i)	2017-2018	10% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.
(ii)	2018-2019	20% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.
(iii)	2019-2020	30% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.
(iv)	2020-2021	40% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.
(v)	2021-2022	50% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.
(vi)	2022-2023	60% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.
(vii)	2023 onwards	70% of the quantity of waste generation as indicated in Extended Producer Responsibility Plan.

Schedule III (A)

[See rules 13(1)(xii), (xiii), (xv)]

Extended Producer Responsibility targets for producers, who have started sales operations recently, i.e. number of years of sales operations is less than average life of their products mentioned in the guidelines issued by Central Pollution Control Board from time to time.

Sl. No	Year	E-Waste Collection Target (Weight)
(i)	2018-2019	5% of the sales figure of financial year 2016-17.
(ii)	2019-2020	5% of the sales figure of financial year 2017-18.
(iii)	2020-2021	10% of the sales figure of financial year 2018-19.
(iv)	2021-2022	10% of the sales figure of financial year 2019-20.
(v)	2022-2023	15% of the sales figure of financial year 2020-21.

(vi)	2023-2024	15% of the sales figure of financial year 2021-22.
(vii)	2024-2025	20% of the sales figure of financial year 2022-23.
(viii)	2025 onwards	20% of the sales figure of the year preceding the previous year.”;

(h) in Form I,

(I) for item 4, the following item shall be substituted, namely: -

“Details of electrical and electronic equipment placed in market year-wise for the period equivalent to its average end-of-life as mentioned in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time (as per the form of Table 1 given below):”;

(II) in item 9, for entry (b), the following entry shall be substituted, namely: -

“(b) Provide the declaration with regard to technical documents maintained by them in support of Reduction of Hazardous Substances compliance as specified in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board from time to time;”;

(i) in Form-3, for the heading the following heading shall be substituted, namely: -

“Quantity in Metric Tonnes (MT)”.

[F. No. 12-16/2017-HSMD]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 338 (E), dated the 23rd March, 2016.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2018.03.22 18:31:07 +05'30'